is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date for the receipt of applications.		

[F.No.1-14/2014-Extn (RRs]

D. PONNI, Under Secy. (Extn.)

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, अधीक्षक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, अधीक्षक (समूह 'ख पद) भर्ती नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद - संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—**वह व्यक्ति -–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर□	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधीक्षक	22* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	
(11)	(12)	
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 4(रु. 25,500 – 81,100) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला में प्रशासनिक और लेखा कार्य के क्षेत्र में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम	1. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला , पुणे – अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला , पुणे – सदस्य 3. अवर सचिव, भार साधक, ई-II अनुभाग, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग – सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला , पुणे - सदस्य	1. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला , पुणे – अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला , पुणे – सदस्य 3. अवर सचिव, भार साधक, ई-II अनुभाग, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग – सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला , पुणे - सदस्य

हो, कम ना हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या (ii) जिसने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु 29200-92300)या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर छह वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताए और अनुभव हो : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में प्रशासन या स्थापन कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** :- प्रतिनियुक्ति कि अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति कि अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।		

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/47/2017- ई-II]

प्रशांत मालिक, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 12th August, 2021

G.S.R. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Superintendent, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent, in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Superintendent (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post.	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintendent	22* (2021) * subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'B', Non – Gazetted, Ministerial	Level -6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection	Not Applicable

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment promotion or deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion failing which deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
(11)	(12)	
Promotion: Upper Division Clerk in level -4 in the pay matrix (Rs. 25,500 – 81,100) with ten years regular service in the grade and having successfully completed three weeks training in the field of Administrative and Accounts work in Central Water and Power Research Station. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who their junior who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or institute or research institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune –Chairman ; 2. Scientist E, Central Water and Power Research Station, Pune –Member ; 3. Under Secretary, Incharge E-II Section, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation –Member ; 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune –Member.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman ; 2. Scientist E, Central Water and Power Research Station, Pune - Member ; 3. Under Secretary, Incharge E-II Section, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation –Member ; 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune –Member.

qualification and experience: (i) Bachelors degree from a recognised University or institute; and (ii) Two years experience in Administration or Establishment work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body or recognised University or research institute. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years on the last date of receipt of applications. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be consideration for appointment by promotion.		

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/47/2017-E.II]

PRASHANT MALIK , Under Secy.

नई दिल्ली , 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं**।**

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति**,** आयु-सीमा**,** अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (**5**) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति **–**